

संसद की संयुक्त बैठक एवं सदन के नेता

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। यह पहली बार था जब उन्होंने नवनरिवाचिता 18वीं लोकसभा को संबोधित किया।

संसद की संयुक्त बैठक क्या है?

परिचय:

- संयुक्त बैठक में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा एवं राज्यसभा) की एक साथ बैठक होती है।

संवधान में संयुक्त बैठकों के प्रकार:

- भारतीय संसदीय प्रणाली में संयुक्त बैठकें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं।
 - पहला अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिषेक है तथा
 - दूसरा अनुच्छेद 108 के तहत विधायी गतरिधों का समाधान है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को कब संबोधित करते हैं।
 - प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को संबोधित करते हैं।
 - राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित भी करते हैं।
 - संवधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा अनुच्छेद 87 को इस प्रकार संशोधित किया गया: खंड (1) में, "प्रत्येक सत्र" वाक्यांश को "लोक सभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ पर" से प्रतिस्थापित किया गया।
 - संयुक्त बैठक का महत्त्व:
 - वे राष्ट्रपति को सरकार की नीतित प्रथमकिताओं के साथ-साथ विधायी एजेंडे की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करते हैं।
 - आम चुनावों के बाद दिया जाने वाला अभिषेक विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि यह प्रायः नव नरिवाचिता सरकार के जनादेश और प्रथमकिताओं को प्रतिबिंबित करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 108 का प्रयोग नमिनलखिति परस्थितियों में किया जा सकता है:
 - जब कोई विधायक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, लेकिन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या वापस नहीं किया जाता है।
 - जब राष्ट्रपति किसी विधायक को पुनर्विचार के लिये वापस करता है।
 - जब विधायक को दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किये जाने की तथि से छह महीने से अधिक समय बीत चुका हो और विधायक को दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया गया हो।
 - संयुक्त बैठक के लिये प्रमुख प्रावधान:
 - लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में
 - लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों का पालन किया जाता है
 - कोरम दोनों सदनों के कुल सदस्यों का दसवाँ हिस्सा है
 - विधायी गतरिधों को हल करने के लिये अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - संयुक्त बैठक के अपवाद: दो अपवाद हैं:
 - धन विधायक (अनुच्छेद 110)
 - संवधान संशोधन विधायक (अनुच्छेद 368)

नोट:

- 1950 के बाद से केवल तीन विधायक संयुक्त बैठकों के माध्यम से पारित किये गए हैं:
 - दहेज नषिध विधायक, 1960

- बैंकगि सेवा आयोग (नरिसन) वधियक, 1977
- आतंकवाद नविरण वधियक, 2002

सदन का नेता (Leader of the House) कौन है?

- राज्य सभा में वर्तमान सदन का नेता:
 - राज्यसभा के 264वें सत्र के पहले दिनि स्वास्थय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को आधिकारिक तौर पर राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया।
- कानूनी समर्थन:
 - सदन के नेता शब्द को आधिकारिक तौर पर **लोक सभा और राज्यसभा दोनों के लिये प्रक्रिया के नियमों में परभाषित** किया गया है।
- नियुक्ति प्रक्रिया:
 - वह एक मंत्री और राज्यसभा के सदस्य हैं और उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा इस पद पर कार्य करने के लिये नामित किया जाता है।
 - इसके अतिरिक्त सदन के नेता के पास सदन के उपनेता को नियुक्त करने का अधिकार होता है।
 - संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक तुलनीय पद को 'बहुमत नेता' के नाम से जाना जाता है।
- दायित्व:
 - समग्र प्रक्रिया का संचालन करता है, विशेष रूप से बहस और चर्चाएँ।
 - सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखता है।
 - राज्यसभा के सम्मान को बनाए रखता है।
 - संसदीय बहस के दौरान मानक कार्यवाही बनाए रखता है।
- लोकसभा में सदन का नेता:
 - लोकसभा में, सदन का नेता आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है, अगर वह सदन का सदस्य है। अगर नहीं है, तो यह एक मंत्री होता है जो इसका सदस्य होता है और प्रधानमंत्री द्वारा इस भूमिका के लिये नामित किया जाता है।
 - परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का नेता होता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. निम्नलिखित में कौन-सी लोकसभा की अनन्य शक्त(ियाँ) है/हैं? (2020)

1. आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना
2. मंत्रपरिषद के वरिद्ध अवशिवास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपतिपर महाभयिग चलाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: B